



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, क्रमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central University Act., 2009 NO.25 of 2009)

Web Site – www.ggu.ac.in, ph. No. 07752-260021, fax No. 07752-260148, 154

क.२५७..... / अका. / शोध / 2013

बिलासपुर, दिनांक २२/४/१३

प्रति,

डॉ. अनिल कुमार चन्द्राकर,
सहायक प्राध्यापक—केमिकल इंजीनियरिंग विभाग,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः— शोध निर्देशक मान्य निरस्तीकरण संबंधी ।

विषयान्तर्गत अवगत हो कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक— 02.04.13 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक—01/अका. / शोध केमिकल इंजीनियरिंग / 2012 दिनांक—01.01.13 में केमिकल इंजीनियरिंग विषय में शोध निर्देशक मान्य किया गया था, उसे निरस्त करते हुए आपका नाम पंजीकृत शोध निर्देशकों की सूची से विलोपित किया जाता है।

23/04/2013

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

बिलासपुर, दिनांक २२/४/१३

पृ.क.२५८..... / अका. / शोध / 2013

प्रतिलिपि:-

1. अधिष्ठाता, अध्ययननशाला इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
2. विभागाध्यक्ष, केमिकल इंजीनियरिंग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
3. कुलपति / कुलसचिव के सचिव / निज सहायक को माननीय कुलपति / कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
4. परीक्षा नियंत्रक / स.कु.स.(परीक्षा / गोपनीय) को सूचनार्थ।
5. विभागाध्यक्ष, संगणक विज्ञान की ओर वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

22/4/13

सहा. कुलसचिव (अका.)

VAS/CS/1
2013